

16/1/2026

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा पत्रावली तलब करने हेतु पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं समस्त रेस्पोजेण्ट स्वयं व उनके अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोजेण्ट के मध्य राजीनामा परिवार, समाज व गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजनीनामा अनुसार अपीलान्ट द्वारा रेस्पोजेण्ट के पक्ष में विवादित खसरा नम्बर 306 रकबा 2.48 हैक्टर में से 7 बीघा यानि 1.12 हैक्टर भूमि हस्तान्तरित की जायेगी जिस हेतु अपीलान्ट व रेस्पोजेण्ट दोनों सहमत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सुमेरपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 को अपास्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं के निवेदन पर मनन व प्रस्तुत राजीनामें व पत्रावली का अवलोकन किया। तथा उभयपक्ष अधिवक्ताओं व प्रकरण में संयोजित समस्त रेस्पोजेण्ट्स द्वारा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये।

परिमाण स्वरूप प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर उक्त विचाराधीन अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2014 बअनवान विक्रमादित्य सिंह वगैरह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर नम्बर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(डॉ० भास्कर विश्णोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली